कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा
परियोजना कांसाबेल, जिला–जशपुर (छ.ग.)
परिशिष्ट –एक

//आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना//

क्रं./57/बा.वि.परि./स्था./2025-26 कांसाबेल, दिनांक 22/05/2025

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये पद रिक्त होने के कारण रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परियोजना कार्यालय कांसाबेल के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। यह पद केवल महिलाओं हेतु है। इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक **26.05.2025** से **09.06.2025** तक तक कार्यालयीन समय में कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.) को सीधे/पंजीकृत डाक से जमा कर सकते है। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

पद का नाम कार्यकर्ता

क.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	पद का नाम
1	कांसाबेल	बटईकेला	नकबार	नकबार	22402080216	नकबार	कार्यकर्ता

पद का नाम सहायिका

क.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	पद का नाम
1	कांसाबेल	खुटेरा	कोड़लिया	कोड़लिया	22402080322	कोड़लिया	सहायिका
2	कांसाबेल	बरजोर	पुसरा	पुसरा	22402080415	स्कूलटोली	सहायिका
3	कांसाबेल	पोंगरो	पोंगरो	पोंगरो	22402080506	बरजोरियापारा	सहायिका
4	कांसाबेल	पोंगरो	पोंगरो	पोंगरो	22402080524	चटट्‌टानपारा	सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक अर्हताएँ/शर्ते :-

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जावेगी)
2. आवेदिका **उसी ग्राम की निवासी** होनी चाहिये जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।
3. निवासी होने के प्रमाण में :-

(1) संबंधित ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र के साथ उसके क्रं. का उल्लेख कर मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि लगाई जावें।

Bhagat

Scanned with OKEN Scanner

अथवा

(2) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा ।

टीप :- यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4. कक्षा 12वीं एवं 8वीं की अंकसूची ग्रेडिंग पध्दति में होने पर आवेदिका की स्वंय की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फार्म के साथ संलग्न करेंगे अंक तालिका स्कूल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किये जायेंगे। अंक के अभाव में पदक्रम तैयार करने में कठिनाई होगी जिसके लिए आवेदिका स्वंय जिम्मेदार होंगे।

5. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिये :-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12वीं अथवा 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीप :- उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में कोई भी आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी । इसके बाद भी कोई आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 5वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी ।

सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार 8वीं शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर विचार किया जावेगा ।

6. **अतिरिक्त अंक की पात्रता निम्नालिखित शर्तो पर होगी :-**

(क) अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी (अनुभव एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा होने पर ही अंक देय होगा)

(ब)यदि आवेदिका **2011 के बीपीएल कार्ड एवं सर्वे सूची** के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के अंतर्गत आते है तो वे बीपीएल सर्वे क्रं. ---- व बीपीएल श्रेणी -------- संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत से सूची प्राप्त करें तथा अनिवार्य रुप से सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करें। **2002 का बीपीएल मान्य नहीं किया जायेगा।**

(ख) यदि आवेदिका अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में रह कर कक्षा 8वीं तक अध्ययन किये हो तो संबंधित आश्रम की अधीक्षिका से प्रमाण पत्र एवं 8वीं का अंक सूची मिलान कर आवेदन के साथ संलग्न करें।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) यदि आवेदिका अनुसूचित जाति,जनजाति परिवार की महिला है तो उन्हें वैध जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी) द्वारा जारी आवेदन के साथ संलग्न करती है तब ही अंक देय होगा। अस्थाई जाति प्रमाण पत्र की वैधता 06 माह की होती है। अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैधता समाप्त न हुई हो तब ही मान्य है। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) विधवा महिला होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करने पर अंक देय होगा।

(ड.) परित्यकता के संबंध में **दो वर्ष से अधिक की** अवधि ही मान्य होगी। अवधि के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करने पर ही अंक देय होगा। न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश भी मान्य किया जायेगा।

(च) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश प्रस्तुत करने पर ही अंक दिये जावेगें।

7. समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित /स्व प्रमाणित होने चाहिए। अप्रमाणित दस्तावेज मान्य नहीं किये जायेंगे।
8. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं अथवा 10वीं के अंकसूची संलग्न करे।
9. आवेदन पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर केन्द्र का नाम व कोड एवं पद का नाम (जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है) स्पष्ट रूप से लिखा जाना होगा।
10. कार्यालय द्वारा जारी आवेदन प्रारुप ही मान्य किया जावेगा। अन्य कोई भी आवेदन मान्य नही किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वतः होगी।
11. निर्धारित अंतिम तिथि **<u>09.06.2025</u>** के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेगें।
12. संबंधित आवेदन कार्यालय में जमा कर पावती अभिस्वीकृत में जो प्रमाण पत्र संलग्न रहेगा उसी के आधार पर मून्यांकन पत्रक तैयार किया जावेगा तथा **दावा आपत्ति के समय कोई भी अन्य नवीन दस्तावेंज मान्य नही किया जायेंगा।**
13. यदि आवेदिका विवाहित है तो विवाह पश्चात् नाम/मध्य नाम/उपनाम में हुए परिवर्तन का शपथ पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिकाएँ रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी व अशासकीय है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

Bhagat 22/05/25
(योगेश भगत)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल सेवा विकास परियोजना
कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

58/बा.वि.परि./स्था./2025-26

कांसाबेल,दिनांक22/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय, जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ । कृपया लोकहित में स्थानीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करेगें ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कांसाबेल की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. अध्यक्ष महोदय, जनपद पंचायत कांसाबेल की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव ---------------- की ओर सूचनार्थ ।कृपया अपने पंचायत में जारी विज्ञापन के संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करे एवं ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराये । ग्राम पंचायत के सूचना पटल में भी एक प्रति चस्पा किया जावें ।
7. संबंधित सेक्टर -----------------पर्यवेक्षक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। कृपया पत्र के प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

Bhagat 22/05/25

(योगेश भगत)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल सेवा विकास परियोजना
कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner